पुमान / 21॥ह०ए

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3123–एक / 14 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.11.14	यह अपील आवेदन–पत्र भू–राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 462/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2– मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम सबलगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकवा 1.21 हैक्टेयर अपीलार्थी की जहॉं वर्तमान में भूमि है वहॉं वह निवास नहीं करता है उसका परिवार अन्यत्र निवास करने लगा है। इस कारण उक्त भूमि को हॉंकने–जोतने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि अपीलार्थी की भूमि ग्राम सबलगढ़ में स्थित है व अपीलार्थी ग्राम मालपुरा निवास करता है। उक्त दोनों जगहों की दूरी काफी अधिक होने से कृषि कार्य करने में असुविधा होती है, इसलिए वह उक्त भूमि को विक्रय कर ग्राम चरबर्डी में भूमि खरीदना चाहता है, अतः अपीलार्थी ने भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर, देवास के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर ने खारिज किया है और अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा खारिज की गयी है उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं	

अपनाया है। अपीलार्थी द्वारा कुल रकवा 1.21 हैक्टेयर कृषि भूमि विक्रय कर खेती हेतु रकवा 1.77 हैक्टेयर क्रय की जा रही है और उसे भूमि का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। कलेक्टर ने भूमि विक्रय का ठोस कारण नहीं होना मानकर आवेदन–पत्र खारिज किया है तथा अपर आयुक्त ने अपीलार्थी को भूमिहीन हो जाना मानकर अपील खारिज की गयी है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जो कृषि भूमि विक्रय की जा रही है उसके स्थान पर अन्य कृषि भूमि भी क्रय की जा रही है। जिससे वह उक्त भूमि पर कृषि कर अधिक लाभ प्राप्त करेगा। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

3– प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी सुभान पुत्र रूगनाथ आदिवासी होने से उसके द्वारा ग्राम सबलगढ़ में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकवा 1.21 हैक्टेयर रकवा कम होने तथा घर से दूर होने के कारण अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अपनी ही जाति के शंकरलाल व सीताराम पुत्र धनसिंह भिलाला से विक्रय की अनुमति के हेतु आवेदन संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर, देवास के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे कलेक्टर ने विक्रय किये जाने हेतु ठोस कारण नहीं होना मानकर आदेश दिनांक 15.04.2012 खारिज किया गया है। अपर आयुक्त ने अपील प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी को भूमिहीन मानकर अपील खारिज की है। अपीलार्थी क्रमांक 1 ने ग्राम सबलगढ स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 3 कुल रकवा 1.21 हैक्टेयर विक्रय कर ग्राम चरबर्डी में उक्त भूमि से

अधिक कृषि भूमि रकवा 1.77 हैक्टेयर क्रय करने के आधार पर विक्रय अनुमति चाही गयी है और विक्रय का कारण कृषि भूमि कम होना एवं घर से दूर होना दर्शाया है। संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत भूमि विक्रय की अनुमति का उद्‌देश्य आदिवासी को छलकपट एवं षडयंत्रपूर्ण कार्यवाही से बचाना है। अपीलार्थी क्रमांक 1 कृषि भूमि रकवा 1.21 हैक्टेयर विक्रय कर ग्राम चरबर्डी में रकवा 1.77 हैक्टेयर क्रय करना चाहता है, जो भूमि विक्रय का पर्याप्त आधार है। अपर आयुक्त ने अपील में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने के पश्चात् अपीलार्थी को भूमिहीन बताया है जबकि अपीलार्थी भूमिहीन नहीं होगा और वह अपनी स्वत्व, स्वामित्व की कृषि भूमि को विक्रय कर अन्य कृषि भूमि क्रय करेगा।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और कलेक्टर, देवास का आदेश दिनांक 15.04.2013 एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश दिनांक 13.09.2013 निरस्त किये जाते है। अपीलार्थी क्रमांक 1 सुभान पुत्र रूगनाथ को ग्राम सबलगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकवा 1.21 हैक्टेयर विक्रय करने की अनुमति दी जाती है। पक्षकार सूचित हो, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजने के पश्चात् राजस्व मण्डल अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

सदस्य

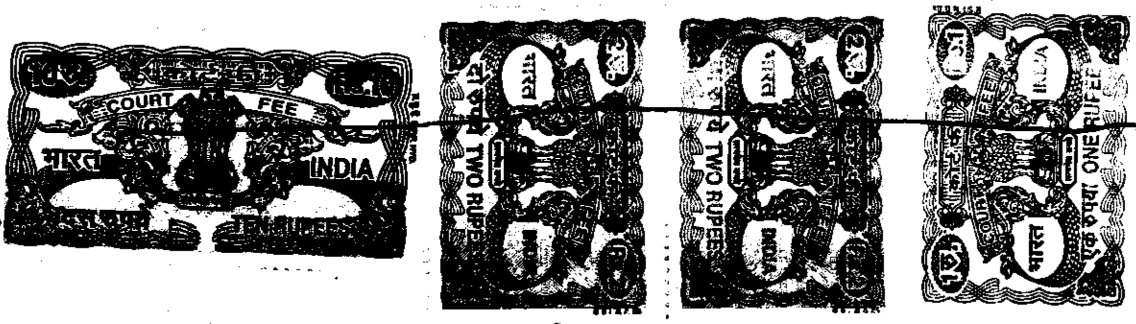

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–देवास A- 2123-I/14

SANTOSH SHIVHARE ADV
17.9.14

17-9-14

1. सुभान पुत्र श्री रूगनाथ निवासी सबलगढ़ हाल मुकाम माली पुरा तहसील बागली जिला देवास (म.प्र)
2. गणेश पुत्र श्री लालजी राम पाटीदार निवासी ग्राम तिस्सी तहसील बागली जिला – देवास (म.प्र)

……… अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला देवास

SHARE

…… प्रत्यर्थी

न्यायालय अपर आयक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण